अति आवश्यक
पी.ए.सी. मैटर
तिथिबद्ध

क्रमांक 18/4/2023–3 ब० व क०

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

सेवा में,

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
हरियाणा सरकार।

दिनांक, चण्डीगढ़: 25.11.2024

विषय: भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जन स्वास्थ्य अवसंरचना तथा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा, वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या 2

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाऊं तथा अनुरोध करूं कि आप अपने विभाग से सम्बन्धित पैरों के एनोटेटिड उत्तर निर्धारित प्रपत्र (अंग्रेजी व हिन्दी) में अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से हरियाणा विधान सभा में प्रतिवेदन पेश होने की तिथि से 03 महीने की निर्धारित अवधि के अन्दर–अन्दर सचिव, हरियाणा विधान सभा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा तथा वित्त विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2. भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जन स्वास्थ्य अवसंरचना तथा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा, वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या 2, हरियाणा सरकार की प्रति प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़ की वेबसाइट (https://cag.gov.in/ag/haryana/en/audit-report) पर उपलब्ध है। यह रिपोर्ट हरियाणा विधान सभा में दिनांक 13.11.2024 को पेश की गई है।

3. कृपया यह भी ध्यान में रखा जाये कि, समय पर उत्तर प्राप्त न होने पर लोक लेखा समिति द्वारा प्रशासकीय सचिव का मौखिक परीक्षण भी किया जा सकता है। अतः उत्तर में देरी के कारण लोक लेखा समिति की किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से बचने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाये।

4. जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक विभाग में इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और विभागाध्यक्षों की अध्यक्षता में विभागीय मोनिटरिंग कमेटियों का भी गठन किया हुआ है। अतः उक्त समिति की बैठकें करके सभी सम्बन्धित पैरों का उत्तर निर्धारित सीमा के अन्दर भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

अधीक्षक बजट एवं कमेटी,
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

पृ० क्रमांक 18/4/2023–3ब० व क० दिनांक, चण्डीगढ़: 25.11.2024

इसकी एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़ को उनके पत्र क्रमांक HVS/PAC/19/2024/26596 दिनांक 18.11.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ भेजी जाती है।

–sd–

अधीक्षक बजट एवं कमेटी,
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

पृ० क्रमांक 18/4/2023–3ब० व क०　　　　　　　　　　दिनांक, चण्डीगढ़: 25.11.2024

इसकी एक प्रति महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़ को उनके पत्र क्रमांक Report-I/PHMIS/Govt. copy/2024-25/14 दिनांक 12 September 2024 के संदर्भ में भेजी जाती है।

— Sd —

अधीक्षक बजट एवं कमेटी,
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

इसकी एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

2. उनसे अनुरोध है कि वे अपने विभागों से सम्बन्धित पैरों के उत्तर की 15–15 प्रतियां (2–पैन ड्राइव सहित) सचिव, हरियाणा विधान सभा तथा तीन–तीन प्रतियां महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा/वित्त विभाग (बजट एवं कमेटी) शाखा को भिजवाने की कृपा करें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि मोनिटरिंग कमेटी की मासिक बैठकें प्रत्येक मास समय पर होती रहें ताकि प्रगति की समीक्षा की जा सके और सभी पैरों के उत्तर समय पर भेजे जा सके।

— Sd —

अधीक्षक बजट एवं कमेटी,
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
हरियाणा सरकार।

पृ० क्रमांक 18/4/2023–3ब० व क०　　　　　　　　　　दिनांक, चण्डीगढ़:25.11.2024
अशाः क्रमांक 18/4/2023–3 ब० व क०　　　　　　　　　दिनांक, चण्डीगढ़:25.11.2024

इसकी एक प्रति अधीक्षक, एफ.डी.–।। शाखा को आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

— Sd —

अधीक्षक बजट एवं कमेटी,
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

सेवा में,

अधीक्षक,
एफ.डी.–।। शाखा

अशाः क्रमांक 18/4/2023–3 ब०व क०　　　　　　　　　दिनांक, चण्डीगढ़:25.11.2024

Internal Distribution:

JD (Computer Cell) to upload on FD's website